

पत्रांक-4 / STA-P3-95 / 2013 4495

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 05.09.17

विषय:- विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विज्ञप्ति सामग्री (सी.डी.सहित) संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार के प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में दो दिनों के अन्दर करने की कृपा की जाय ।

अनु०:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक:- 4495

पटना, दिनांक:- 05-09-17

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विज्ञापन सामग्री विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

0/17

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।



बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सूचना

पत्रांक- 4 / STA.-(विविध)-30 / 2016 परि0-

दिनांक-

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा-3 (ca) के तहत बिहार के अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के निर्धारण के क्रम में अनुसूची-I एवं II के रूप में कुल 133 मार्गों को चिह्नित कर इसका प्रकाशन परिवहन विभाग के वेबसाईट <http://transport.bih.nic.in> पर कर दिया गया था।

उक्त मार्गों के संबंध में दिनांक-14.07.2017 तक सर्वसाधारण से आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित किये गये थे। उक्त प्रकाशित मार्गों के संदर्भ में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की सुनवाई दिनांक-12.09.2017 को अपराह्न 4.00 बजे से राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कार्यालय कक्ष में की जायेगी।

निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।

10/10/17
सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।